फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री करण शर्मा पुत्र श्री भवानीशंकर शर्मा नि. बुझडा पो. कुंदवा तहसील देवगढ

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 36/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.09.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर (सर्त.), राजसमंद एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर (सर्त.), राजसमंद एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये क्रमांकः एफ.1( ) सू.अ., 05/2022/660–661 दिनांक 27.07.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अर्पीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद ने अपीलार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क 10/–रू. आईपीओ नं. 47F020068 से भिजवाये जाने से लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा पत्रांकः 430 दिनांक 20 अप्रेल, 2022 को बिन्दु सं. 01 की सूचना रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से भिजवाई जा चुकी है। अपीलार्थी को बिन्दु सं. 3 की सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ द्वारा पत्रांकः 51 दिनांक 09.09.2022 से प्रस्तुत सूचना अनुसार पत्रांकः 39 दिनांक 09.09.2022 से जरिये डाक भिजवाई जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु सं. 2 की सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ की नहीं होकर तहसीलदार, देवगढ से संबंधित होने से अपीलार्थी तहसीलदार, देवगढ को आवेदन कर नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना लोक लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ द्वारा तैयार कर अपीलार्थी को बिन्दु सं. 1 एवं 3 की उपलब्ध करवाई जा चुकी है। बिन्दु सं. 2 की सूचना तहसीलदार, देवगढ से संबंधित होने से तहसीलदार, देवगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करावें। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ एवं तहसीलदार, देवगढ को भिजवायी जावे। **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)